प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 27.09.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा जानलेवा हमले के आरोपी अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 04.05.2015 को वादी श्री मौ0 अलकाम पुत्र अमीरुद्दीन निवासी बासमंडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त राजा पुत्र जाकिर निवासी मौ0 बांस मंडी कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने वादी के साथ गाली गलौच करते हुये वादी को जान से मारने की नियत से छुरी से गर्दन पर वार किया, जिससे वादी गंभीर रुप से घायल हो गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 290/15 धारा 307/504/506 भादवि बनाम राजा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 02.06.2015 को अभियुक्त राजा उपरोक्त को आलाकत्ल छुरी सहित गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 342/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा दोनो अभियोगो में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 27.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी-II, बिजनौर द्वारा द्वारा उपरोक्त अभियोगो में अभियुक्त राजा पुत्र जाकिर निवासी मौहल्ला बास मंडी कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- राजा पुत्र जाकिर निवासी मौहल्ला बांस मंडी कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 27.09.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पीडिता के साथ छेडछाड के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 26.07.2019 को वादी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त फुरकान अहमद पुत्र रहमान अहमद निवासी मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने वादी की बेटी के साथ छेडछाड की गयी । इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 378/19 धारा 354ख भादवि व 7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 27.09.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 378/19 धारा 354ख भादवि व 08 पॉक्सो अधिनियम के अभियुक्त फुरकान अहमद पुत्र रहमान अहमद निवासी मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- फुरकान अहमद पुत्र रहमान अहमद निवासी मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 27.09.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 459/2024 धारा 324(4) बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.09.2024 को समय सुबह करीब 07.00 बजे थाना धामपुर क्षेत्रान्तर्गत नगीना रोड पर वाराही देवी मंदिर के संरक्षक(पुजारी) मुनीष उपाध्याय पुत्र महेन्द्र नाथ निवासी मौ0 साहूवान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पुलिस को सूचना दी कि रात्रि में मंदिर परिसर में स्थित पीपल के पेड के चबूतरे की टाइल्स को किसी असामाजिक व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है । इस सम्बन्ध मे थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 459/2024 धारा 324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना धामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त मलखान पुत्र फूल सिंह निवासी मौ0 बाडवान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मलखान पुत्र फूलसिंह निवासी मौ0 बाडवान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 1045 पवन कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली देहात **दिनांक 27.09.2024**

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0स0 215/2024 धारा 115(2)/352/351(3)/ 121/132 बीएनएस0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26.09.2024 को मुख्य आरक्षी चालक राकेश कुमार ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कॉलर ने पीआरवी पर ग्राम खंडसाल में झगडे की सूचना दी । सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ अभियुक्तगण 1.तेजपाल 2.गंगाराम पुत्रगण सागर 3.निर्वेश पत्नी गंगाराम 4.मोहिनी पत्नी तेजपाल निवासीगण ग्राम इब्राहिमपुर खंडसाल थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी, जिससे उनको चोटें आयी है। इस संबध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 215/2024 धारा 115(2)/352/351(3)/121/132 बीएनएस0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त तेजपाल पुत्र सागर निवासी ग्राम इब्राहिमपुर खण्डसाल थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

तेजपाल पुत्र सागर निवासी ग्राम इब्राहिमपुर खण्डसाल थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास तेजपाल उपरोक्तः-

1.मु0अ0स-141/2020 धारा 323/325/504 भादवि थाना को0 देहात जनपद बिजनौर

2.मु0अ0स0 215/2024 धारा 115(2)/352/351(3)/121/132 बीएनएस0 थाना कोत0 देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 रवि कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
3. का0 2554 यतेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
4. का0 1148 रोहित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 27.09.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये 04 मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.06.2024 को वादी विकास कुमार पुत्र महेश कुमार निवासी ग्राम थुरैला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने ई-एफआईआर के माध्यम से रोडवेज बस स्टैण्ड से अज्ञात चोर द्वारा वादी की जेब से मोबाईल रियलमी चोरी करने के सम्बंध मे थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 319/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया।

दिनांक 27.09.2024 को वादी श्री सरताज पुत्र आबिद हसन निवासी मौ0 मुफ्तीसराय कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर में रखे वादी व वादी की माता का मोबाईल बी–29 व दूसरा फोन होनफ 7 कम्पनी एवं वादी के चाचा के लड़के मौ0 काशिफ के दो छोटे मोबाइल फोन चोरी कर लिये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 506/2024 धारा 305 (ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 27.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.रहीम उर्फ डऊवा पुत्र मुमतियाज उर्फ इम्तियाज निवासी ग्राम असालतनगर बघा थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद 2.सुल्तान पुत्र बून्दू निवासी मौ0 चिम्मन कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये 04 मोबाईल फोन बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि ये मोबाइल हम लोगों ने तीन दिन पहले मौहल्ला मुफ्तीसराय के दो घरों से चोरी किये थे। इसके अलावा दिनांक 12.04.2024 को चांदपुर रोडवेज बस स्टैण्ड से एक मोबाइल फोन चोरी किया था जिसका लॉक नही खुलने के कारण उसी दिन घर जाते समय नूरपुर रोड पर सडक पर फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

रहीम उर्फ डऊवा पुत्र मुमतियाज उर्फ इम्तियाज नि0 ग्राम असालतनगर बघा थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद
सुल्तान पुत्र बून्दू निवासी मौ0 चिम्मन कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

1.मोबाईल बी – 29

2.होनफ 7 कम्पनी

3.दो छोटे मोबाइल फोन

रहीम उर्फ डऊवा उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 506/2024 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 319/24 धारा 379 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 71/13 धारा 109/41 भादवि थाना पागवडा जनपद मुरादाबाद
4. मु0अ0सं0 37/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद
5. मु0अ0सं0 161/19 धारा 224 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद मुरादाबाद

अभियुक्त सुल्तान का अपराधिक इतिहास सुल्तान –

1. मु0अ0सं0 506/2024 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 319/24 धारा 379 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 अजीत सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 2070 मोहित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

4.कां0 1154 चरणदास थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 27.09.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 374/2024 धारा 87/64 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.09.2024 को वादिनी द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि वादिनी अपनी पुत्री के साथ गांव से बैंक गयी थी। करीब 01 बजे वादिनी की पुत्री बैंक से बाहर गयी थी, जोकि काफी देर तक भी वापस नही आयी। वादिनी की पुत्री को अज्ञात अभियुक्त बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 374/2024 धारा 87 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 26.09.2024 को पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को बरामद किया गया तथा विवेचना के क्रम में अभियुक्त फुरकान पुत्र मुख्तार निवासी ग्राम मेमनसादात थाना किरतपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 64 बीएनएस व धारा ¾ पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 27.09.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फुरकान पुत्र मुख्तार निवासी ग्राम मेमनसादात थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फुरकान पुत्र मुख्तार निवासी ग्राम मेमनसादात थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना किरतपुर बिजनौर

2.हे0कां0 447 गौतम थाना किरतपुर बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 27.09.2024**

थाना नगीना देहात पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल छिनैती की 02 घटनाओं का अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को छीने गये 04 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.09.2024 को वादी श्री अरूण कुमार पुत्र गणेश सिंह निवासी ग्राम बगनाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि समय करीब 04.20 बजे शाम को वादी जब अपने मामा किशन पुत्र घसीटा एवं रोहित पुत्र कुलदीप के साथ मोटरसाइकिल UK12B3414 पर सवार होकर लालवाला से अपने गांव जा रहा थे तो सुन्दरावली रोड पर सदगुरु आश्रम से पहले स्पलेन्डर मोटरसाइकिल पर सवार 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी व किशन एवं रोहित से मारपीट कर मोबाइल फोन ले लिये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 199/24 धारा 119(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 27.09.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा उक्त अभियोग का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से उपरोक्त अभियोग में छीने गये 03 मोबाइल फोन व घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। बरामद मोटरसाइकिल को अंतर्गत धारा 207 एम0वी0एक्ट मे सीज किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से थाना नजीबाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 480/2024 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक मोबाईल फोन एप्पल कम्पनी का बरामद हुआ है। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.अक्षय पुत्र महीपाल निवासी ग्राम रजपुरा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2.तुषार पुत्र रामरतन निवासी ग्राम मेदपुरा सुल्तान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
3.अनुज पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम रजपुरा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
4.गौरव पुत्र पवन कुमार निवासी दयालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक मोबाईल रियलमी 8

एक मोबाईल रियलमी सी 55

एक अदद मोबाईल आईटेल

एक अदद मोबाईल एप्पल आईफोन

घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर नं0 UP20BX1806

अभियुक्त तुषार का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 135/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 480/2024 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद, बिजनौर।

अभियुक्त अनुज का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 637/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 135/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर।

3.मु0अ0सं0 480/2024 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद, बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.श्री संजय कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

3.निरीक्षक श्री सचिन मलिक प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद बिजनौर

4.निरीक्षक श्री अमित कुमार स्वाट टीम जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री विकास कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बिजनौर

5.उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

6.उ0नि0 श्री मिलाप सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

7.हे0का0 149 चन्द्रप्रभात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

8.हे0का0 737 सुभाषचन्द थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

9.कां0 20 आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

10.कां0 1816 सुमित नैन थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

11.कां0 2279 रोहित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

12.कां0 500 अमित कुमार थाना नगीन देहात जनपद बिजनौर

13.कां0 मोनू कुमार सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर

14.हे0का0 विवेक तोमर साईबर सैल जनपद बिजनौर

15.कां0 जैनुल मलिक साईबर सैल जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 27.09.2024**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण को चोरी किये गये दो लैपटॉप, एडेप्टर एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रपत्रों सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.09.2024 को वादी श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र मुरारी सिंह निवासी ग्राम सरकथल पोस्ट फीना थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 25.09.2024 को वादी की कार से तहसील गेट के सामने एक लड़के व महिला द्वारा वादी की गाड़ी में रखे दो बैग एक काला व लाल जिनमें दो लैपटॉप (एक सोनी कम्पनी व एक डेल बोस्ट्रो कम्पनी), दो ऐडेप्टर, माप पुस्तिका, एक इण्डेन गैस पास बुक, दो चेक बुक व दो पास बुक चोरी कर ली। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 503/2024 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम एक लडका व एक महिला अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 27.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.चाहत पुत्र शराफत निवासी ग्राम चन्दकुटी कै मंडैय्यो थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा व महिला अभियुक्ता रूबीना उर्फ रूबी पत्नी अनीस अहमद निवासी ग्राम आदमपुर थाना धनौरा मण्डी जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किये गये दो बैग, दो लैपटॉप, दो ऐडेप्टर, एक माप पुस्तिका, दो पास बुक, दो चेक बुक, एक इण्डेन गैस पास बुक बरामद किया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

चाहत पुत्र शराफत निवासी ग्राम चन्दकुटी कै मंडैय्यो थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा

रूबीना उर्फ रूबी पत्नी अनीस अहमद निवासी ग्राम आदमपुर थाना धनौरा मण्डी जनपद अमरोहा

बरामदगी –

दो बैग एक लाल और एक काला

दो लैपटॉप (एक सोनी कम्पनी व एक डेल बोस्ट्रो कम्पनी) व दो ऐडेप्टर

एक माप पुस्तिका

दो पास बुक
दो चेक बुक
एक इण्डेन गैस पास बुक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 जुगेन्द्र तेवतिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2.कां0 754 मुकेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3.कां0 668 राजकुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4.म0कां0 1265 प्रीति थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 27.09.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 481/2024 धारा 115(2)/109(1)/351(2)/352/3(5) बीएनएस में वांछित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.09.2024 को वादी देव पुत्र श्री सोनू निवासी मौहल्ला प्रेमनगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.क्रिश 2.तनीश 3.रितिक पुत्रगण अरविन्द व 4.अरविन्द पुत्र नामालूम निवासीगण मौ0 प्रेमनगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पिता सोनू के साथ मारपीट की गयी तथा अभियुक्त क्रिश द्वारा जान से मारने की नीयत से वादी के पिता के पेट में छुरा मार दिया, जिससे वादी के पिता गंभीर रुप से घायल हो गये। अभियुक्तगण द्वारा वादी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 481/2024 धारा 115(2)/109/351(2) बीएनएस बनाम क्रिश आदि उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया। सीसीटीवी फुटेज एवं विवेचननात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त नरेश पुत्र कैलाशचन्द निवासी मौ0 प्रेमनगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग में धारा 352/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 27.09.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.अरविन्द पुत्र सोमप्रकाश 2.रितिक व 3.क्रिश पुत्रगण अरविन्द 4.नरेश पुत्र कैलाशचन्द निवासीगण मौ0 प्रेमनगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नरेश की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त छुरी अभियुक्त अरविन्द के घर से बरामद की गई। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.अरविन्द पुत्र सोमप्रकाश निवासी मौ0 प्रेमनगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.रितिक पुत्र अरविन्द निवासी मौ0 प्रेमनगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3.क्रिश पुत्र अरविन्द निवासी मौ0 प्रेमनगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4.नरेश पुत्र कैलाशचन्द निवासी मौ0 प्रेमनगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त छुरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.व0उ0नि0 इलम सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3.हे0कां0 523 अमित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4.कां0 777 शुभम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 27.09.2024**

थाना नहटौर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.09.2024 को वादी श्री प्रदीप जोशी पुत्र स्व0 श्री गुणप्रकाश जोशी निवासी मौ0 जोशियान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने तहरीर दी कि अज्ञात चोरों ने मौ0 जोशियान में काली माता के मंदिर में लगे दान पात्र से रात्रि में ताला तोडकर रवि दान की धनराशि करीब 4 से 5 हजार रुपये चोरी कर लिये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 314/2024 धारा 331(2)/305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 27.09.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त राजू पुत्र रामनाथ हाल निवासी ग्राम इलाहाबास थाना नहटौर जनपद बिजनौर स्थायी पता मौ0 खेड़ा कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये 1200 /- रूपये बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2)/317(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजू पुत्र रामनाथ हाल निवासी ग्राम इलाहाबास थाना नहटौर जनपद बिजनौर स्थायी पता मौ0 खेड़ा कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

1200 /- रूपये

अभियुक्त राजू का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 567/2004 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 947/2008 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 324/16 धारा 380/411/457 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 314/2024 धारा 331(2)/305/317(2)/317(4) बीएनएस थाना नहटौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 प्रशि0 श्री सुमित कुमार, थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 प्रशि0 श्री शेखर कुमार, थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3.कां0 1756 सुमित कुमार, थाना नहटौर जनपद बिजनौर